कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा झालावाड़

क्रमांकः-जिशिअ/मुख्या/माशि/झाला/संस्था-।/फा-म.गां.रा.वि.संविदा शिक्षक भर्ती-2023/2023/1646 दिनांक 28.07.2023

संबंधित संस्था प्रधान
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय(अंग्रेजी माध्यम)
जिला झालावाड़

विषयः- सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितिय संविदा भर्ती 2023 के पदो पर चयनित अभियार्थीयों की संविदा पर नियुक्ति एवं पदस्थापन पश्चात् कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा-माध्य/संस्था/मगाअनु/प्रभाग-ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022 दिनांक 23.07.2023 में गैर अनुसुचित क्षैत्र में चयनित अभ्यार्थी सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितिय(अंग्रेजी/विज्ञान-गणित) के काउंसलिंग पश्चात् कार्यालय के जारी नियुक्ति आदेश के कम में संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
2. जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पायी जाए, उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांकः 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
4. संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 तथा समय समय जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे।
6. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः प.7(3)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावें।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांकः 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा-ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किए जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में संलग्न किया जावे।
9. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education Officer
Date: 2023.07.28 20:21:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4405715

10. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व प्रमाण पत्र वैद्य व मान्य नहीं पाये गये तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावे।

11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र व शपथ पत्र भी चयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक रूप से प्राप्त किये जावे-

A- शपथ- पत्र- निर्धारित संलग्न प्रारूप- B व C में से जो भी लागू हो प्राप्त करना है।

B- शपथ- पत्र- उक्त संविदा भर्ती 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा (विधवा/विवाह विच्छिन्न-परित्यक्ता श्रेणी) .... से ऑनलाईन आवेदन क्रमांक .... भरा है। मेरे द्वारा आज दिनांकः .... तक पुनर्विवाह नहीं किया गया है।

C- शपथ- पत्र- उक्त संविदा भर्ती 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु ऑन लाईन आवेदन क्रमांक .... भरा गया तथा मेरा इस श्रेणी हेतु चयन हुआ है। मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया गया है।

D- चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं हों।

12. नियुक्ति पर कार्यग्रहण उपरान्त प्रत्येक संविदा कार्मिक के लिए पृथक- पृथक व्यक्तिगत पंजिका संधारित की जावे। जिसमें संविदा कर्मी के सम्बन्ध में ज़ारी किये गये समस्त आदेश/निर्देश सुरक्षित रखे जावें।

13. जिन अभ्यर्थीयों की डिग्री राजस्थान राज्य के बाहर की है उन्हे कार्यग्रहण नही करवाया जावें।इस हेतु सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए कक्षा-12 एव बीएसटीसी एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितिय के लिए स्नातक एव बीएड डीग्री को आधार मानकर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।

14. कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण हेतु अन्तिम दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्यग्रहण नही करने की सूचना मय संबंधित अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्रावली पुनः इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(मोहनलाल मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़

क्रमांकः जिशिअ (मु.)/माशि/झा/संस्था-I/संविदा भर्ती 2023/1646 **दिनांकः**28.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा झालावाड़।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................. जिला झालावाड़ को देकर लेख है कि आप के ब्लॉक में लगाये गये संविदा अभ्यिर्थीयों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधानों को उक्त निर्देशों की पालना अक्षरक्षः करने हेतु पाबन्द करें।साथ ही स्थानीय कार्यालय से आपके ब्लॉक में लगाये गये अभ्यर्थीयों के मूल आवेदन पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को प्राप्त कर संबंधित विद्यालय में भिजवाते हुए पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education Officer
Date: 2023.07.28 20:21:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4405715